

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, हरदोई।

पत्रांक: 3393 / जि0का0अ0 / स्था0-04 / 2025-26

दिनांक 17-03-2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के शासनादेश सं0 / 2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद हरदोई के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की मानदेय आधारित संविदा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्रं0सं0	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण		
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
01	मल्लावां	01	00	00	01
02	शाहाबाद	01	00	00	01
03	हरपालपुर	01	00	00	01
04	शहर	01	00	00	01
कुल योग		04	00	00	04

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.01.2026 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी।
3. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर पालिका/निवास द्वारा निर्गत मुत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
4. निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास, आय व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगी जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
5. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <https://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन, सही-सही व सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। सम्बन्धित आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व स्पष्ट रूप से पठनीय हो, अपलोड की जायेंगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया होगा। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तिक/पूर्णांक, गलत या कूटरचित पाए जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
6. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 06-04-2026 होगी।
7. मा0 न्यायालय में वाद/निर्णय/आदेश या चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में रिक्तियों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है।



(रमेन्द्र कुमार सिंह)

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हरदोई।